



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234860
CG-DL-E-06042022-234860

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1545]
No. 1545]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1614(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -130B के कि.मी. 90.245 से कि.मी 90.730 में मल्लीन नाला पुल का निर्माण कार्य के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड के सम्बन्ध में अनुसूची के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित, अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -130B के कि.मी. 90.245 से कि.मी. 90.730 में मल्लीन नाला पुल का निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन ।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम						
1	2	3	4	5	6	7						
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोदबाजार (छत्तीसगढ़)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH130B के कि.मी. 90.245 से 90.73 तक	छत्तीसगढ़	बलौदाबाजार-भाटापारा	लवन	<table><tr><td>1</td><td>बिटकुली</td></tr><tr><td>2</td><td>डोटोपार</td></tr><tr><td>3</td><td>लवनबंद</td></tr></table>	1	बिटकुली	2	डोटोपार	3	लवनबंद
1	बिटकुली											
2	डोटोपार											
3	लवनबंद											

[फा. सं. RO/NH/CG-2021-22/LA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1614(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of Mallin Nalla bridge of National highway No. - 130B in the Strectch of land From Km. 90.245 to Km. 90.730 in the District of Balodabazar-Bhatapara in the state of Chhattisgarh.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway No. 130B in Km. 90.245 to Km. 90.730 Construction of Mallin Nalla Bridge in the State of Chhattisgarh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village						
1	2	3	4	5	6	7						
1	Sub Division Officer(Revenue) Balodabazar (Chhattisgarh)	90.245KM To 90.73KM	CHHATTISGARH	Balodabazar-Bhatapara	Lawan	<table><tr><td>1</td><td>Bitkuli</td></tr><tr><td>2</td><td>Dotopar</td></tr><tr><td>3</td><td>Lawanband</td></tr></table>	1	Bitkuli	2	Dotopar	3	Lawanband
1	Bitkuli											
2	Dotopar											
3	Lawanband											

[F. No. RO/NH/CG-2021-22/LA]

RAJESH GUPTA, Director